भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 822
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी के अंतर्गत फसलों का कवरेज

822 . श्री रमेश चन्द्र माझी :
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत फसलों के कवरेज के संबंध में कोई शिकायत/ सुझाव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कवरेज का प्रतिशत क्या है;
(ग) क्या यह सच है की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती हैं लेकिन किसानों से उस मूल्य पर नहीं खरीदी जाती हैं और यदि हां तो इसके फसल-वार क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है। सीएसीपी, एमएसपी पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारको से परामर्श भी करता है और मूल्य और गैर- मूल्य सिफारिशों दोनों के लिए सुझाव मांगता है। एमएसपी के तहत फसलों को शामिल करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और विभिन्न किसान संगठनों से सुझाव/अभ्यावेदन भी प्राप्त होते हैं। एमएसपी तंत्र के तहत फसलों को शामिल करना कई कार कों पर निर्भर है जिसमें अन्य कारकों के साथ अपेक्षाकृत लंबे समय तक खराब नहीं होना, व्यापक रूप से उगाया जाना, बड़े पैमाने पर खपत शामिल है।

एमएसपी नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के मूल्य समर्थन का विस्तार करती

है। इस नीति के तहत, किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप जो भी खाद्यान्न पेश किया जाता है उसे केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है। इसके अलावा, समग्र योजना पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहनों और कोपरा की खरीद संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एमएसपी पर दिशानिर्देशों के अनुसार तब की जाती है जब इन उत्पादों के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं । विगत पांच वर्षों के एमएसपी पर फसल-वार खरीद के ब्यौरे अनुबंध में दिए गये हैं।

अनुबंध

दिनांक 07.02.2023 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 822 के उत्तर के भाग (क) से (ङ): में उल्लिखित अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद

(आंकड़े एलएमटी में)

क्रम संख्या	जिन्स	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	धान	660.11	770.93	895.66	857.30	651.70
2	गेंहूँ	357.95	341.33	389.93	433.44	187.92
3	तिलहन	18.29	15.43	2.95	1.52	0.48
4	दलहन	19.45	28.54	8.17	30.31	1.2
5	श्री अन्ना* एवं मक्का	2.18	4.32	12.08	6.30	1.28
6	कपास #	10.78	124.61	99.33	-	-
7	कोपरा	-	0.0031	0.0509	0.0003	0.4084
8	पटसन	0.1308	0.1481	0.0072	0.0025	0.2654

* श्री अन्ना में ज्वार, बाजरा, रागी शामिल हैं।

कपास की खरीद लाख गांठों में है

2021-22 और 2022-23 के दौरान, एफएक्यू ग्रेड कपास बीज की कीमतें एमएसपी स्तर से काफी ऊपर चल रही थीं और किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत मिल रही थी। इसलिए एमएसपी के तहत खरीद शून्य थी।

*****